

राजस्थान सरकार

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांक: एफ1(23)परि/स्था/2025/ 12648

जयपुर, दिनांक: 1-10-25

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर वर्ष 2025-26 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 18.09.2025 को सम्पन्न हुई।

समिति की सिफारिश पर निम्न कार्मिकों को वरिष्ठ सहायक (लेवल इन पे-मैट्रिक्स एल-08) के पद पर वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.स.	नाम	जन्मतिथि	रिक्ति तिथि
1.	श्री आशीष शर्मा	05.07.1992	01.04.2025
2.	श्री प्रेमप्रकाश बाजिया	01.04.1996	01.04.2025
3.	श्री पवन गुर्जर	12.07.2000	01.04.2025
4.	श्री सुरेश कुमार गुर्जर	16.10.1996	01.04.2025
5.	श्री हेमपाल गुर्जर	19.10.1993	08.04.2025
6.	श्री सुभाष चंद बुनकर, अ.जा.	01.05.1989	08.04.2025
7.	श्री देववृत्त, अ.जा.	03.10.1991	08.04.2025
8.	श्री सुरजकुमार गंवारिया, अ.जा.	16.01.1993	01.05.2025
9.	श्री प्रमोद कुमार बैरवा, अ.जा.	09.07.1991	01.05.2025
10.	श्री आशीष कुमार शर्मा	11.12.1983	01.07.2025
11.	श्री वीर सिंह	11.05.2002	01.07.2025
12.	श्री हंसराज कटुम्बरिया, अ.जा.	08.10.1991	01.08.2025

श्री हरिमोहन सैनी को सीसीए 16 में जारी ज्ञापन दिनांक 28.04.2003 की जांच में विभाग के आदेश दिनांक 27.08.2018 द्वारा 3 वृत्त वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। अतः वर्ष 2025-26 में तृतीय बार पदोन्नति पर विचार नहीं किया गया।

श्री भंवर सिंह पुत्र कजोड. सिंह को कनिष्ठ सहायक पद पर नियमित करने की प्रक्रिया लंबित होने से इनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया गया।

श्री राकेश पूनियां की वर्ष 2024-25 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, श्री योगेन्द्र सिंह की वर्ष 2024-25 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, श्री राजपाल की वर्ष 2024-25 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, श्री रोहिताश कुमार की वर्ष 2024-25 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, श्री नरेश कुमार खींची की वर्ष 2024-25 पार्ट-1 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, श्री इन्द्रपाल सिंह की वर्ष 2024-25 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं श्री प्रियशील दरबार की वर्ष 2020-21, 2022-23 एवं 2024-25 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण इनके पदोन्नति प्रकरण डैफर किया जाकर इनके लिए 01-01 पद रिक्त रखा गया है।

उक्त कार्मिकों को पदोन्नति का काल्पनिक लाभ उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति तिथि से तथा नकद लाभ वास्तविक रूप से कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

30/10

उक्त कार्मिक अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यरत रहेंगे एवं उक्त आदेश की पालना में पदोन्नत कार्मिक अपनी उपस्थिति रिपोर्ट पदस्थापन स्थान पर ही प्रस्तुत करेंगे तथा इनके पदस्थापन आदेश पृथक् से जारी किये जायेंगे।

उक्त पदोन्नति नाननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एस.एल.पी.संख्या 29601/2018 में पारित निर्णय के अधधीन रहेंगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

31)

(ओम प्रकाश बुनकर)
अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)
एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ1(23)परि/स्था/2025/ 12649-12655 जयपुर, दिनांक: 1-10-25-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1.विशिष्ट सहायक, नाननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, परिवहन एवं सडक सुरक्षा, राजस्थान सरकार।
- 2.निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, परिवहन एवं सडक सुरक्षा, राज0 जयपुर।
- 3.निजी सहायक, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.), राजस्थान, जयपुर।
- 4.समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
5. नोडल अधिकारी, वेबसाईट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 6.संबंधित कार्मिक.....।
- 7.निजी/रक्षित पत्रावली।

31)

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)
एवं संयुक्त शासन सचिव